

न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

संख्या 70 तारीख दायर 11/09/2020 दिनांक निर्णय 21/09/2020
उनवान

पटवारी हनुका भजेडा बनाम सोहन लाल

आज पत्रावली मु. नायब तहसीलदार पेश हुई। उप./अनु. जवाब पेश किया/नहीं करना चाहता है।

नैस्तायत बन्द की जानी है। अतिक्रमी का स. 207.7 का नया कब्जा होना साबित होता है।

कमी कबिल बेदखली है।

कोदर है कि-

सायल श्री सोहन लाल मीना पुत्र/ पत्नी सुगरा मीना

पति मीना निवासी इन्दपुरा

से आराजी खसरा नं. 85/604 रकबा 0.50 किस्म सिवाग्रचक वाके ग्राम.

इन्दपुरा से बेदखल किया जाता हैं, तथा शरह लगान 1.00 की

50 गुणा में मु. 50.00/ रूपये कायमी कराई जावे

TRA व पटवारी की पालनार्थ लिखा जावे।

फसल निलामी हेतु गिरदावर/कानुनगो को लिखा जावे।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2020-21
के पृष्ठ संख्या 14 पर 0.50/-
राशि कायम किये गये।

पिबडि
त. रा. लेखाकार

नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)